फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

स्याणी देवी बनाम चन्दालाल वगै0

पत्र संख्या : 122/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपल्ब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस का मनन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीपलावाल, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ में वादीया के पति के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 2.3014है0 स्थित है जो कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीया के स्वर्गीय पति गोदाराम उर्फ गोदू पुत्र हरला हिस्सा 1/8 भाग स्थित है। जिस पर वादिया अपने पति की मृत्यु के बाद से काबिज काश्त है। प्रतिवादीगणों को प्रतिबंधित किया जावे कि वादीया की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करें, और ना ही किसी प्रकार से तामीरात का निर्माण करे तथा किसी प्रकर से वादीया की भूमि तारबन्दी का निर्माण नही करें, किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण नही खुलवाया, किसी अन्य को बैचान हस्तान्तरण नही करे, तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	